

अपील क्रमांक 203/बो.प्र./नि.स./2024/  
कार्यालय प्रमुख अभियंता (बोधी प्रकोष्ठ)  
जल संसाधन विभाग, छत्तीसगढ़  
शिवनाथ भवन, सेक्टर-19,  
नवा रायपुर, अटल नगर

दिनांक 10/07/2024

अपील प्रकरण क्रमांक 203/बो.प्र./नि.सहा./2024

अपीलार्थी  
श्री डी.के. सोनी (अधिवक्ता),  
एवं RTI एक्टिविस्ट Ph.d,  
नावापारा अंबिकापुर,  
जिला सरगुजा (छत्तीसगढ़)  
मो.नं. 9826152904

विरुद्ध

उत्तरवादी  
श्री रविकांत साहू  
जनसूचना अधिकारी,  
कार्यालय प्रमुख अभियंता,  
जल संसाधन विभाग,  
नवा रायपुर (छ.ग.)

आदेश दिनांक 07.10.2024

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपीलार्थी श्री डी. के. सोनी द्वारा दिनांक 11.09.2024 को प्रस्तुत एवं इस कार्यालय में दिनांक 18.09.2024 को प्राप्त प्रथम अपील आवेदन की सुनवायी आज दिनांक 07.10.2024 को कक्ष क्र. SA-14, कार्यालय प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग, शिवनाथ भवन, नवा रायपुर में दोपहर 12.00 बजे प्रारम्भ की गई। सुनवाई के दौरान उत्तरवादी जनसूचना अधिकारी श्री रविकांत साहू, कार्यालय प्रमुख अभियंता जल संसाधन विभाग, नवा रायपुर (छ.ग.) उपस्थित थे तथा अपीलार्थी अनुपस्थित थे।

2. प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है आवेदक/अपीलार्थी ने प्रस्तुत प्रथम अपील प्रकरण में उल्लेख किया है कि उनके द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत कार्यालय प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग में भ्रष्टाचार के आरोप में जेल जाने उपरांत पुर्ननियुक्ति प्राप्त श्री आलोक अग्रवाल, सहायक अभियंता को सेवा से हटाने के संबंध में लिखा गया पत्र के संबंध में विभाग द्वारा की गई कार्यवाही की समस्त नोटशीट, ऑडरशीट, पत्राचार एवं जांच प्रतिवेदन तथा उक्त पत्र के आधार पर कोई कार्यवाही नहीं करने वाले अधिकारी का नाम, पदनाम की लिखित जानकारी की प्रमाणित प्रतिलिपि उपलब्ध कराने हेतु दिनांक 05.08.2024 को जनसूचना अधिकारी, कार्यालय प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग, शिवनाथ भवन, नवा रायपुर में प्रस्तुत आवेदन पत्र कार्यालयीन आवक क्र. 390 दिनांक 08.08.2024 को प्रमुख अभियंता कार्यालय में प्राप्त हुआ था। जनसूचना अधिकारी द्वारा जानकारी नहीं दिये जाने के कारण असंतुष्ट होकर अपीलार्थी द्वारा दिनांक 11.09.2024 को प्रस्तुत प्रथम अपील आवेदन पत्र, इस कार्यालय में दिनांक 18.09.2024 को प्राप्त अपील के परीक्षण उपरांत, प्रकरण की सुनवाई दिनांक 07.10.2024 को समय दोपहर 12.00 बजे अधोहस्ताक्षरकर्ता के कक्ष क्र. SA-14, कार्यालय प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग, शिवनाथ भवन, नवा रायपुर में निर्धारित कर, सुनवायी में उपस्थित होने बाबत अपीलार्थी को स्पीड पोस्ट के माध्यम से सूचित किया गया।

3. सुनवाई दिनांक 07.10.2024 को अपीलार्थी के अनुपस्थित रहने के कारण प्रकरण के गुण-दोष के आधार पर निराकरण किया जा रहा है। अपीलार्थी द्वारा अपने अपीलीय प्रकरण में उल्लेख किया गया है कि जनसूचना अधिकारी द्वारा जानकारी नहीं दिये जाने के कारण प्रथम अपील आवेदन प्रस्तुत किया गया है।

4. जनसूचना अधिकारी के तर्क श्रवण किये गये। उन्होंने अवगत कराया कि आवेदक/अपीलार्थी का आवेदन क्रमांक 4105 दिनांक 05.08.2024, इस कार्यालय के आवक क्र. 390 दिनांक 08.08.2024 को प्राप्त हुआ। वांछित जानकारी हेतु नस्ती स्थापना कक्ष को दिनांक 12.08.2024 को प्रेषित की गयी। उक्त नस्ती स्थापना कक्ष से सूचना का अधिकार कक्ष को दिनांक 05.09.2024 को इस टीप के साथ प्राप्त हुई कि वांछित जानकारी 1 पृष्ठ में समाहित है। नस्ती स्थापना कक्ष से विलंब से प्राप्त होने के कारण आवेदक/अपीलार्थी को कार्यालयीन पत्र क्रमांक 4112275/144/छ.ग./2024/7799, दिनांक 10.09.2024 के माध्यम से, उनके द्वारा वांछित जानकारी निःशुल्क प्रदाय की गयी।

5. प्रकरण का अवलोकन एवं अध्ययन किया गया। प्रश्न यह है कि क्या अपीलार्थी को उनके आवेदन में उल्लेखित जानकारी जनसूचना अधिकारी द्वारा अपीलार्थी को प्रेषित नहीं की गयी है? सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 7(1) में अधिनियम के तहत प्राप्त आवेदन के निराकरण की समय सीमा 30 दिन निर्धारित है। वर्तमान विचाराधीन अपील प्रकरण में आवेदक/अपीलार्थी द्वारा दिनांक 05.08.2024 को प्रस्तुत आवेदन प्रमुख अभियंता कार्यालय में आवक क्र 490 दिनांक 08.08.2024 को प्राप्त हो गया था। अतः आवेदन पत्र प्रमुख अभियंता कार्यालय में प्राप्त होने की दिनांक 08.08.2024 से आवेदन के निराकरण की 30 दिनों की समय सीमा दिनांक 06.09.2024 को पूर्ण होती है। आवेदक/अपीलार्थी के आवेदन में वांछित जानकारी स्थापना शाखा से 1 पृष्ठ में दिनांक 05.09.2024 को सूचना के अधिकार प्रकोष्ठ में प्राप्त हुयी। निर्धारित समय सीमा में जानकारी न दिये जाने के फलस्वरूप आवेदक/अपीलार्थी को उनके आवेदन में वांछित जानकारी, जनसूचना अधिकारी द्वारा कार्यालयीन पत्र क्र. 4112275/144/छ.ग./2024/7799 दिनांक 10.09.2024 के माध्यम से निःशुल्क प्रेषित की जा चुकी है।

6. अतः उपरिवर्णित तथ्यों के आधार पर प्रकरण पर निम्नानुसार निर्णय दिया जाता है:—

उत्तरवादी पक्ष अर्थात जनसूचना अधिकारी के द्वारा अपीलार्थी के आवेदन में वांछित जानकारी 1 पृष्ठ में कार्यालयीन पत्र क्र. 4112275/144/छ.ग./2024/7799, दि. 10.09.2024 के माध्यम से अधिनियम में निहित प्रावधान के तहत 30 दिनों की समय सीमा व्यतीत होने के कारण, अपीलार्थी को वांछित जानकारी मेल एवं पंजीकृत डाक से निःशुल्क प्रेषित की जा चुकी है, जिसका विवरण निम्नानुसार है:—कार्यालय का मेल ID [osd.encwr@gmail.com](mailto:osd.encwr@gmail.com) date 11 September 2024 at 13.25 एवं मंत्रालय पोस्ट ऑफिस रायपुर से भेजे गये पंजीकृत डाक का नं. EC838325825IN IVR:6967838325825 date 12/09/2024 है। अतः प्रकरण में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अन्य कोई कार्यवाही शेष नहीं रह जाने से, प्रथम अपील प्रकरण समाप्त किया जाकर नस्तीबद्ध किया जाता है।

इस आदेश की प्रति संबंधित पक्षों को निःशुल्क प्रदान की जाती है। इस आदेश से असंतुष्ट पक्ष, इस आदेश के विरुद्ध 90 दिनों के भीतर छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग, नार्थ ब्लॉक, सेक्टर-19, नवा रायपुर, अटल नगर, जिला रायपुर (छ.ग.) पिन 492002 के कार्यालय में द्वितीय अपील प्रस्तुत कर सकते हैं।

  
(मक्शी कुजूर)


प्रथम अपीलीय अधिकारी,  
कार्यालय प्रमुख अभियंता,  
जल संसाधन विभाग, छत्तीसगढ़  
नवा रायपुर, अटल नगर (छ.ग.)

पृ.क्र./206/बो.प्र./नि.स./2024/8732

नवा रायपुर, दिनांक 07/10/2024

प्रतिलिपि:—

1. अधीक्षण अभियंता, एम.आई.एस., कार्यालय प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग, शिवनाथ भवन, नवा रायपुर, अटल नगर (छ.ग.) की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित। कृपया उक्त आदेश को विभाग के बेबसाइट (RTI) में अपलोड कराने का कष्ट करें।
2. श्री रविकांत साहू, जनसूचना अधिकारी, कार्यालय प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग, शिवनाथ भवन, नवा रायपुर, अटल नगर (छ.ग.) की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
3. श्री डी.के. सोनी (अधिवक्ता), एवं RTI एक्टिविस्ट Ph.d, नावापारा अंबिकापुर, जिला सरगुजा (छत्तीसगढ़) मो.नं. 9826152904 की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

  
प्रथम अपीलीय अधिकारी  
एवं अधीक्षण अभियंता (बोधी प्रको.),  
कार्यालय प्रमुख अभियंता,  
जल संसाधन विभाग, छत्तीसगढ़  
नवा रायपुर, अटल नगर (छ.ग.)